(राजीव शर्मा, जे.)

राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू , जे. जे.

राजेंद्र कुमार बत्रा-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता 2014 का सीआरए-डी No.1909-DB

05 दिसंबर, 2018

ए) भारतीय दंड संहिता, 1860-Ss.302 और 201-अज्ञात व्यक्ति की हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला-अपीलकर्ता/आरोपी उस क्षेत्र में मौजूद था जहां कार अज्ञात व्यक्ति के मृत शरीर के साथ लावारिस पाई गई थी-कार का पंजीकरण उसके बेटे के नाम पर था और वह लगभग सात महीने तक फरार रहा-अपीलकर्ता का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक था-जिस दिन मृतक का जला हुआ शव कार से बरामद किया गया था, उस दिन कार टोल प्लाजा करनाल को पार कर गई थी-इसके अलावा पीडब्लू-10 कांस्टेबल करमबीर के मोबाइल Nos. कॉल विवरण के अनुसार। 9899630896 और 8800104858 प्राप्त किए गए और जांच अधिकारी-पीडब्ल्यू-30 एस. आई. फूल सिंह को सौंप दिए गए, जिनसे प्राप्त कॉल विवरण के बारे में जिरह नहीं की गई-आयोजित, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई और अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे साबित हुआ।

मान लिया कि, ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अपीलार्थी ने नई दिल्ली के राजा गार्डन से एक व्यक्ति को उठाया था।उसने उसे मार डाला।उन्होंने 16.7.2013 पर 1.22.57 दोपहर में टोल प्लाजा, करनाल को पार किया।उन्होंने गांव शरीफगढ़ के पास शव को आग लगाने के बाद कार को छोड़ दिया। कार अपीलार्थी के बेटे करण बत्रा के स्वामित्व में थी।उसके पास से पंजीकरण दस्तावेज जब्त कर लिए गए।अपीलार्थी 16.7.2013 पर गायब हो गया था और 10.2.2014 पर गिरफ्तार किया गया था।अपीलार्थी का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक है।यह नहीं कहा जा सकता है कि अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए, वह गायब हो गया।जुलाई,

2013 के महीने में न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही लापता कार की कोई शिकायत की गई।

(पैरा 25)

आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने श्रृंखला पूरी कर ली है।अपीलार्थी उस क्षेत्र में मौजूद था जहाँ कार एक अज्ञात व्यक्ति के शव के साथ लावारिस पाई गई थी। गाड़ी का पंजीकरण उनके बेटे के नाम पर था।वह लगभग सात महीने तक फरार रहा। कार ने करनाल टोल प्लाजा को 16.7.2013 पर लगभग 1.22.57 शाम को पार किया। यह तथ्य सीडी, Ex.P21 से साबित होता है।इसके अलावा पीडब्लू10 कांस्टेबल करमबीर ने बयान दिया कि उन्होंने मोबाइल No. 9899630896 और 8800104858 के कॉल विवरण 1.7.2013 से 17.7.2013 तक की अवधि के लिए प्राप्त किए हैं।

जाँच अधिकारी को कॉल विवरण प्रस्तुत कर दिये थे । पी. डब्ल्यू. 30 एस. आई. फूल सिंह से EX P11 के माध्यम से प्राप्त कॉल विवरण के बारे में जिरह नहीं की गई थी। उसने यह भी बयान दिया है कि उसने स्वतंत्र गवाहों को साथ शामिल करने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया।

(पैरा 31)

ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 313-अभियुक्त की जाँच-अपीलार्थी/अभियुक्त जब कार के पंजीकरण आदि के संबंध में उससे सवाल किए गए तो वह कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।

माना जाता है कि जांच में गंभीर खामियां हैं।पुलिस को कार से उंगलियों के निशान लेने चाहिए थे।तथापि, इससे अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा।अपीलार्थी ने कार के पंजीकरण आदि के संबंध में धारा 313 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करते समय जब उनसे सवाल पूछे गए तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

(पैरा 32)

जे. पी. जांगू, अधिवक्ता
अनूप सिंह श्योराण, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।

अपूर्व गर्ग, डिप्टी ए. जी., हरियाणा।

राजीव शर्मा, जे.

(1) हालाँकि 2017 का सी. आर. एम. सं. 2136 सजा के निलंबन के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील मुख्य अपील पर बहस करने का अनुरोध करते हैं।

(2) वर्तमान अपील 2014 के सत्र मामले संख्या 84 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा दिए गए फैसले दिनांक 25.11.2014 के और दिनांक 27.11.2014 के आदेश के खिलाफ शुरू की गई है, जिसमें अपीलार्थी राजेंद्र कुमार बत्रा पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था और मुकदमा चलाया गया था। उन्हें दोषी ठहराया गया और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000/- का जुर्माना, और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।उन्हें आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने की अवधि के लिए कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना देने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता सुखजीत सिंह गाँव शरीफगढ़ का निवासी था।वह पेशे से कृषक।16.07.2013 को शाम करीब 6 बजे वे और माधो सिंह के बेटे बीर सिंह अपने गांव से पावर हाउस ढोला माजरा जा रहे थे।जब वे शरीफगढ़ गाँव से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहुंचे, तो एक कार मिली जिस पर No.DL-10CB-4739 था।इंजन चालू था।जब उन्होंने कार की ड्राइवर की खिड़की खोली तो ड्राइवर की सीट पर एक युवक मिला।उसके शरीर पर जलने के निशान थे।पुलिस को सूचना दी गई।सुखजीत सिंह का बयान दर्ज किया गया जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।जाँच पूरी की गई और सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालान किया गया।

(4) अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में कई गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त का बयान भी धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। उसने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया है।उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर देखा गया है।इसलिए, वर्तमान अपील है।

(5) अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।राज्य की ओर से पेश विद्वान

वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के फैसले और आदेश का समर्थन किया है।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है। निर्णय को और रिकॉर्ड को बहुत सावधानी से पढ़ा है।

(7) महिला सिपाही, पीडब्लू1 रीना ने बयान दिया कि 2.8.2013 पर उसने एफएसएल, मधुबन के पास पार्सल जमा किए थे और इसकी रसीद एमएचसी को सौंप दी गई थी।

(8) पीडब्लू2 बालक राम ने 17.7.2013 पर शव की तस्वीरें, Ex.P2 से Ex.P15 क्लिक की थीं।

(9) पीडब्लू 3 कांस्टेबल दिनेश कुमार एक औपचारिक गवाह हैं।

(10) पीडब्लू4 डॉ. लज्जा राम ने बयान दिया कि 17.7.2013 पर, जांच अधिकारी ने शव के पोस्टमार्टम के लिए एक आवेदन, Ex.P16 भेजा।इसे पीजीआई, रोहतक को भेजा गया था।

(11) पीडब्लू6 एचसी संजय कुमार ने गवाही दी कि 17.7.2013 पर, वह टोल प्लाजा एनएच-1, करनाल गए थे, उन्होंने Ex.P19 के माध्यम से प्रबंधक, सूर्य प्रताप टोल प्लाजा को एक आवेदन भेजा जिसमें कार नं. DL-10CB-4739 कि दिनांक 16.7.2013 सी. सी. टी. वी. फुटेज के लिए था।प्रबंधक ने उसे सी. सी. टी. वी. फुटेज दिनांक 16.7.2013 वाली सी. डी. सौंपी इसके बाद उन्होंने एस. आई. साहब सिंह को सी. डी. सौंपी।उन्होंने सीडी, Ex.P21 को साबित किया

(12) पीडब्लू8 सुखजीत सिंह ने बताया की 16.7.2013 को करीब 6.00 पी. एम. बलबीर सिंह के साथ , वह अपने गाँव से बिजली घर गाँव ढोला माजरा जा रहे थे। जब वे शरीफगढ़ गाँव से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहुँचे तो उन्होंने सड़क पर एक कार खड़ी देखी।वे गाड़ी के पास आए।गाड़ी में कोई नहीं था।जूट कॉर्ड (बैन) कार में नहीं पड़ा था।उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया।उन्हें मिट्टी के तेल की गंध या धुआं महसूस नहीं हुआ।विद्वान लोक अभियोजक द्वारा किए गए अनुरोध पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

(13) पीडब्लू9 बलबीर सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

(14) पीडब्लू10 कांस्टेबल करमबीर ने अपदस्थ किया कि 26.2.2014 पर उन्हें ऑपरेटर, साइबर सेल, एस. पी. कार्यालय, कुरुक्षेत्र के रूप में तैनात किया गया था।उन्होंने मोबाइल no. 9899630896 और 8800104858 के 1.7.2013 से 17.7.2013 तक की अवधि के लिए कॉल विवरण प्राप्त किए।

(15) पीडब्लू11 एएसआई भाग सिंह ने अपदस्थ किया कि 16.7.2013 पर उन्हें एक परित्यक्त कार के बारे में जानकारी मिली।वह ईएचसी धीर सिंह और एसआई साहब सिंह के साथ मौके पर पहुंचे।17.7.2013 पर, जाँच अधिकारी ने सुखजीत सिंह का बयान दर्ज किया और रक्का को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।उन्होंने आगे गवाही दी कि 18.7.2013 पोस्टमॉर्टम पर पीजीआई, रोहतक से शव की जांच कराई गई थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि 22.7.2013 पर, राजेंद्र सिंह के बेटे करण बत्रा ने कार नं. डी. एल.-10 सी. बी.-4739 का पंजीकरण कार्ड जाँच अधिकारी के सामने, Ex.P31 के तहत ।जाँच अधिकारी द्वारा अभियुक्त से पूछताछ की गई।उसने खुलासा बयान दिया, Ex.P33, इस प्रभाव से कि 16.7.2013 पर, उसने दिल्ली के राजा गार्डन से एक व्यक्ति को उठाया था और उसकी हत्या कर दी थी।इसके बाद उसने अपने शव को कार में डाल दिया और शाहबाद के पास आग लगा दी।आरोपी पुलिस दल को घटना स्थल पर ले गया।सीमांकन की तैयारी की गई थी।शर्ट भी बरामद कर ली गई थी ।आरोपी अपने पहले के खुलासा बयान से पीछे हट गया।ताजा प्रकटीकरण बयान, Ex.P36, बनाया गया था।उसने चाकू के बारे में खुलासा किया, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था और उसे गड्ढों में फेंक दिया था।आरोपी पुलिस दल को उस स्थान पर भी ले गया जहाँ से उसने 16.7.2013 पर अज्ञात व्यक्ति को उठाया।

(16) पीडब्लू 13 भूषण गोयल, पीडब्लू 14 भुवनेश्वर अग्रवाल और पीडब्लू 15 जगदीश वाधवा ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

(17) पीडब्लू16 सूर्य प्रताप ने सीडी, Ex.P21 साबित किया है।

(18) पीडब्लू19 सोचन राम को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

(19) पीडब्लू 23 मनीष शर्मा भौतिक गवाह हैं।पुलिस अधिकारियों ने दिनांक 16.7.2013 को कार नं. डीएल-10 सीबी-4739 का विवरन लेने के लिये एक दरखासत पेश की।उन्होंने टोल प्रणाली से डेटा तैयार किया और विवरण ईएचसी संजय कुमार को सौंप दिया गया।वाहन तलाशी रिकॉर्ड के अनुसार, वाहन पंजीकरण संख्या।

डी. एल.-10 सीबी-4739 लगभग 1.22.57 पी. एम. पर 16.7.2013 पर अंबाला की ओर बढ़ा था।

(20) पीडब्लू24 सतबीर सिंह के अनुसार, कार राजेंद्र बत्रा के बेटे करण बत्रा के नाम पर पंजीकृत थी।

(21) पीडब्लू26 एस. आई. साहब सिंह ने अपदस्थ किया कि 16.7.2013 पर एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ था।इस सूचना पर वह ईएचसी धीर सिंह और एएसआई भाग सिंह के साथ मौके पर पहुंचे।गाड़ी का इंजन चालू था। सुखजीत सिंह का बयान 17.7.2013 पर Ex.P22 के माध्यम से दर्ज किया गया था।तस्वीरें खींची गईं।सामान यानी कार्ड-बॉक्स, मिट्टी के तेल वाले तीन कनस्तर, कपड़ों के टुकड़े, रस्सी के दो बंडल, लोहे के दो उथले पैन जिनमें से एक में तारकोल, एक खाली प्लास्टिक कनस्तर, मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए गए।इन्हें कब्जे में ले लिया गया।मुहरें लगाई गई।मामला संपत्ति एम. एच. सी. पुलिस स्टेशन, शाहबाद में जमा किया गया था।बोर्ड का गठन किया गया।शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया ।उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मॉडल टाउन, अंबाला के कार्यालय में टोल प्लाजा करनाल से गुजरने वाले 16.7.2013 पर वाहनों की खोज विवरण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया, Ex.पी64। उन्होंने स्थल योजना भी तैयार की।उन्होंने अदालत में पेश किए गए सबूतो की पहचान की।

(22) पीडब्लू27 डॉ. पंकज चिकारा ने अपनी टीम के साथ पोस्टमार्टम किया।उनकी राय के अनुसार, शव एक युवा वयस्क पुरुष का था और मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण की चोटें थीं।जलना पोस्टमॉर्टम प्रकृति का था।विसरा को संरक्षित किया गया था।

(23) पीडब्लू 30 एस. आई. फूल सिंह ने बयान दिया कि एएसआई भूपिंदर सिंह और अन्य लोगों के साथ उन्हें जांच सौंपी गई थी।वे आरोपी राजेंद्र कुमार बत्रा के घर गए।आरोपी के बेटे करण बत्रा ने अपने पिता को उसके सामने पेश किया।उसे गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपी से 10.2.2014 पर पूछताछ की गई।उसने Ex.P33 के माध्यम से इस आशय का खुलासा बयान दिया कि 16.7.2013 पर उसने दिल्ली के राजा गार्डन से एक व्यक्ति को उठाया था और उसकी हत्या कर दी थी। शरीफगढ़ गाँव के पास मिट्टी का तेल डालने के बाद शव को कार में डाल दिया गया और आग लगा दी गई।वह अपने पिछले बयान से पीछे हट गए।उनका ताजा खुलासा बयान Ex.P36 के माध्यम से दर्ज किया गया था।उसके खुलासा बयान के अनुसार, उसने चाकू को गड्ढों में फेंक दिया था।चाकू बरामद नहीं हो सका।पास के जी. टी. रोड से

झाड़ियों से शर्ट बरामद की गई थी।वह पुलिस दल को उस स्थान पर भी ले गया जहाँ से वह अज्ञात व्यक्ति को 16.7.2013 पर ले गया।

(24) मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को श्रृंखला को पूरा करना है।

(25) ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अपीलार्थी ने नई दिल्ली के राजा गार्डन से एक व्यक्ति को उठाया था।उसने उसे मार डाला।उन्होंने 16.7.2013 पर 1.22.57 दोपहर में टोल प्लाजा, करनाल को पार किया।उन्होंने गांव शरीफगढ़ के पास शव को आग लगाने के बाद कार को छोड़ दिया। कार अपीलार्थी के बेटे करण बत्रा के स्वामित्व में थी।उसके पास से पंजीकरण दस्तावेज जब्त कर लिए गए।अपीलार्थी 16.7.2013 पर गायब हो गया था और 10.2.2014 पर गिरफ्तार किया गया था।अपीलार्थी का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक है।यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी गिरफ्तारी के डर से गायब हो गया।जुलाई, 2013 के महीने में न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही लापता कार की कोई शिकायत की गई।

(26) अपीलार्थी ने मुकदमे के दौरान जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था।आवेदन में विशिष्ट कथन किए गए हैं कि 16.7.2013 पर वह अमृतसर जा रहा था।वह करनाल में रुका।तीन लोगों ने उससे लिफ्ट ली।उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई।उनमें से एक ने कार का स्टरिंग का नियंत्रण ले लिया।पीछे बैठे दो लोगों ने बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया और कार को एक संकरी सड़क पर ले गए।उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।फरवरी, 2014 में वह बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से भागने में सफल रहा।इस प्रकार, अपीलार्थी ने उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्वीकार की है जहाँ अपराध किया गया था।अपीलार्थी द्वारा चलाई गई कार ने करनाल के टोल प्लाजा को 16.7.2013 पर 1.22.57 पी. एम. पर पार किया। पी. डब्ल्यू. 16 सूर्य प्रताप ने Ex.21 के माध्यम से वाहन के विवरण को विधिवत साबित किया।

(27) अपीलार्थी ने Ex.P33 के माध्यम से प्रकटीकरण बयान दिया था। उन्होंने अपने पहले के प्रकटीकरण बयान से पीछे हट गए और उसके बाद, नया प्रकटीकरण बयान, Ex.P36 बनाया गया।मृतक की मौत पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों के कारण हुई।इसके बाद सबूतों को नष्ट करने के लिए उनके शरीर को जला दिया गया।

(28) पीडब्लू8 सुखजीत सिंह और पीडब्लू9 बलबीर सिंह ने हालांकि पहले के बयानों से इनकार किया है, लेकिन सड़क के किनारे कार की उपस्थिति को स्वीकार किया है।अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा चलाई गई कार शरीफगढ़ गाँव कैसे पहुंची और कैसे शव उसकी कार में जला हुआ पाया गया।यह विशिष्ट तथ्य उनके ज्ञान में था।यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारतीय साक्ष्य की धारा 106 अधिनियम, 1872 आकर्षित है।अजीब बात यह है कि अपीलार्थी के बेटे यानी करण बत्रा ने भी अपने पिता या कार के लापता होने के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।वे लगभग सात महीने तक मूक दर्शक बने रहे।

(29) सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 में, उनके लॉर्डशिप्स ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जब किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता था और फिर उसकी हत्या कर दी जाती थी, तो केवल अपहरणकर्ता ही अदालत को बता सकते थे कि अपहरण किए गए व्यक्तियों के साथ क्या हुआ था।जब अपहरणकर्ता इस जानकारी को छिपाते हैं, तो अदालत को यह निष्कर्ष निकालना उचित होता है कि अपहरणकर्ता हत्यारे थे।उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैंः-

> “10. बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों से यह कहने के लिए पूछताछ की गई कि बूढ़े माता-पिता वास्तव में घटना से लगभग छह महीने पहले अमृतसर में रह रहे थे।वे इस प्रकार हैंःडी. डब्ल्यू.-1 पंचायत का सदस्य, डी. डब्ल्यू.-3 और डी. डब्ल्यू.-4।सच है, उन तीन गवाहों ने ऐसा ही कहा।लेकिन उनके सबूत बचाव पक्ष को यह दिखाने में मदद नहीं करेंगे कि बूढ़े माता-पिता उस घर से अलग रह रहे थे जहां मृतक उस रात रहा था।गवाह केवल इतना कह सके कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 अमृतसर में रह रहे थे।उस अभिव्यक्ति "अमृतसर" में शहर की सीमा की परिधि में स्थित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।डी. डब्ल्यू.-1 सेंगा सिंह के बयान में उनके पते का जिस तरह से वर्णन किया गया था, उससे यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।उन्हें "अमृतसर के रूपावली गाँव" का निवासी बताया गया है।”
>
> विद्वान वकील ने कुछ संदेह पैदा करने का व्यर्थ प्रयास किया कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 अमृतसर शहर में बड़े बेटों के साथ रह रहे होंगे।ऐसा ही एक प्रयास इस तथ्य पर आधारित था कि पीडब्लू-3 को पहले एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और इसलिए उसे पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करने का मूल्य पता होता।वकील के अनुसार,

पीडब्लू-3 ने अगली सुबह तक भी पुलिस स्टेशन जाने का विकल्प नहीं चुना।इस पर पीडब्लू-3 ने जो कहा वह यह है कि बेटों को ले जाने के बाद वह पूरी रात घर में रहे क्योंकि वह डरे हुए थे और जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने भाई वर्णम सिंह को इकट्ठा किया और अपने बेटों की तलाश में गए और फिरनी गांव (जो उनके आवास के करीब है) में शव मिला।इसके बाद वह अपने भाई को शवों के पास रहने के लिए छोड़कर अपने बड़े बेटों को घटना के बारे में सूचित करने के लिए साइकिल पर अमृतसर शहर मौके से चले गए ।शहर से लौटते समय वह पुलिस के पास पहुंचा।उन्होंने उन्हें घटना का विवरण दिया जैसा कि वह जानते थे।उपरोक्त वर्णन में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 रूपावली में अपने घर से दूर रह रहे थे।

xx xx xx xx

19. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संबोधित दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है।हम केवल राज्य पश्चिम बंगाल बनाम मीर मोहम्मद उमर (ऊपर) में संकलित कानूनी सिद्धांत को दोहराते हैं।कि जब एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित का अपहरण कर लिया है, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, यह अदालत के कानूनी प्रांत के भीतर है कि तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाए कि सभी अपहरणकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।आई. पी. सी. की धारा 34 को उस उद्देश्य के लिए सहायता के लिए लागू किया जा सकता है, जब तक कि कोई विशेष अपहरणकर्ता अदालत को अपने स्पष्टीकरण के साथ संतुष्ट नहीं करता है कि उसने बाद में पीड़ित के साथ और क्या किया, यानी क्या उसने अपने सहयोगियों को रास्ते में ही छोड़ दिया या क्या उसने दूसरों को चरम कृत्य करने से रोका आदि।

20. हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन दिनों में अक्सर क्या हो रहा है।दूसरों की दृष्टि में व्यक्तियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें जबरन अन्य सभी की दृष्टि से हटा दिया जाता है और बाद में अपहृत लोगों को मार दिया जाता है।अगर एक कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया जाना है कि इस तरह के अपहरण की हत्या के लिए आवश्यक रूप से ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा स्वतंत्र सबूत होना चाहिए, तो हम ऐसी आपराधिक गतिविधियों की रक्षा के लिए एक सुरक्षित

न्यायशास्त्र प्रदान करेंगे।भारत अब इस तरह के किसी भी कानूनी सिद्धांत को निर्धारित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है जो अपहरणकर्ताओं को दूसरों के प्रभाव के बाहर अपहृत निर्दोष लोगों की हत्या की उनकी गतिविधियों से बचाता है।

(30) हरिवदन बाबूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य [2] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि जब अभियुक्त का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जाता है जिन्होंने उसे अपराध में शामिल किया और वह उचित स्पष्टीकरण देने या गलत उत्तर देने में विफल रहता है, तो उसे परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है। माननीय न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

> "22. एक अन्य पहलू को संबोधित करने की आवश्यकता है।हालाँकि अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को उसके सामने रखा गया था, फिर भी उसने इनकार करने के तरीके को चुनने के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।कानून में यह अच्छी तरह से तय है कि जब अभियुक्त का ध्यान उन कथित परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जाता है जिन्होंने उसे अपराध में शामिल किया और वह उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है या गलत जवाब देता है, तो उसे परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।(महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, (2000) 1 एस. सी. सी. 471 देखें)।हाथ में मामले में, हालांकि आरोपी के सामने कई परिस्थितियाँ रखी गई थीं, फिर भी उसने एक केवल इनकार किया है और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है।अतः यह भी एक परिस्थिति है कि जो उसके खिलाफ जाता है।"

(31) तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष ने श्रृंखला पूरी कर ली है।अपीलार्थी उस क्षेत्र में मौजूद था जहाँ कार एक अज्ञात व्यक्ति के शव के साथ लावारिस पाई गई थी। गाड़ी का पंजीकरण उनके बेटे के नाम पर था।वह लगभग सात महीने तक फरार रहा। कार ने करनाल टोल प्लाजा को 16.7.2013 पर लगभग 1.22.57 शाम को पार किया। यह तथ्य सीडी, Ex.P21 से साबित होता है।इसके अलावा पीडब्लू10 कांस्टेबल करमबीर ने बयान दिया कि उन्होंने मोबाइल संख्या 9899630896 और 8800104858 के कॉल विवरण दिनांक 1.7.2013 से 17.7.2013 तक की

अवधि के लिए प्राप्त किए।उन्होंने कॉल का विवरण जांच अधिकारी को सौंप दिया।पी. डब्ल्यू. 30 एस. आई. फूल सिंह से आई. डी. 1 के माध्यम से प्राप्त कॉल विवरण के बारे में जिरह नहीं की गई थी।उसने यह भी बयान दिया है कि उसने स्वतंत्र गवाहों के साथ शामिल होने की कोशिश की है लेकिन कोई निकाय आगे नहीं आया।अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया।

(32) जाँच में गंभीर खामियाँ हैं।पुलिस को कार से उंगलियों के निशान लेने चाहिए थे।तथापि, इससे अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा।अपीलार्थी ने कार के पंजीकरण आदि के संबंध में धारा 313 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करते समय जब उनसे सवाल पूछे गए तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

(33) अभियोजन पक्ष ने मकसद साबित कर दिया है।अपीलार्थी एक बिल्डर था। उनका व्यवसाय घाटे में चल रहा था।ग्राहक अपने पैसे मांग रहे थे।अपीलार्थी ने अपनी देनदारियों से बचने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी और मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे आग लगा दी।

(34) विद्वत विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अपील में कोई योग्यता नहीं है।इसी को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

एंजेल शर्मा

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक